भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

01.04.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 6022 का उत्तर

विज्ञापनों से राजस्व

6022. कु. सुधा आर.:

श्री बैन्नी बेहनन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022 से रेलगाड़ियों के अंदर, रेलगाड़ियों के बाहरी इलाकों और रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों से अर्जित राजस्व का जोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विज्ञापनों के लिए पैनल में शामिल और ठेके दिए गए विज्ञापन एजेंसियों, विक्रेताओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदर्शित किए गए विज्ञापनों का और ऐसे प्रदर्शन की अवधि का ब्रांड-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलगाड़ियों में प्रदर्शित विज्ञापनों के लिए विषय-वस्तु मानकों और अनुमोदन तंत्र के संबंध में कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी अवधि के दौरान आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल ने विज्ञापन और ब्रांडिंग पहलकदमियों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व अर्जित करने के लिए व्यापक गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) नीतियाँ निर्धारित की हैं। आउट-ऑफ-होम (ओओएच) विज्ञापन नीति के तहत, स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों में विज्ञापन की सुविधा है। रेल प्रदर्शन नेटवर्क (आरडीएन) नीति में स्टेशनों और परिचलन क्षेत्रों

में स्क्रीन और डिस्प्ले प्रणाली के माध्यम से डिजिटल विज्ञापन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए रेलगाड़ियों और सवारी डिब्बों (भीतर और बाहर दोनों) जैसी चल परिसंपत्तियों पर भी विज्ञापन का प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन से प्राप्त राजस्व विविध राजस्व का एक हिस्सा है। इसका हिस्सा-वार राजस्व ब्यौरा भारतीय रेल के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण में उपलब्ध है।

सभी विज्ञापन संविदा भारतीय रेल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (आईआरपीएस) ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। बोलीदाता का चयन वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व पर नीति और संबंधित संविदा की विशेष शर्तों के अनुसार किया जाता है, जिनमें विज्ञापनदाताओं के लिए पात्रता मानदंड रेखांकित किए गए हैं।

रेलगाड़ियों में विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए, प्रत्येक विज्ञापन योजना का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है और इसे संबंधित रेल मंडल के मंडल प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बहरहाल, विज्ञापन प्रदर्शन के लिए ब्रांड का चयन करना विज्ञापन एजेंसी का विशेषाधिकार है। विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए विज्ञापन एजेंसी को केंद्र/राज्य के कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है। कानूनी दृष्टिकोण से आपत्तिजनक विज्ञापनों की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित विज्ञापनों को रेलगाड़ियों के अंदर/बाहर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है:

i. **मादक पेयपदार्थ के विज्ञापन।**
ii. **कामुक प्रकृति वाले पृष्ठभूमि दृश्यों के विज्ञापन।**
iii. **परिवहन के अन्य साधनों के प्रतिस्पर्धी विज्ञापन।**
iv. **निजी बीमा कंपनियों का रेल दुर्घटनाओं के तहत पॉलिसी संबंधी विज्ञापन।**
v. **सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन।**

बहरहाल, किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
